ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 12 अंक 6 नवंबर-दिसंबर 2020 मूल्य ₹1500

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

India's Leading Referred Hindi Language Journal

IMPACT FACTOR : 5.051

OUR PUBLICATIONS

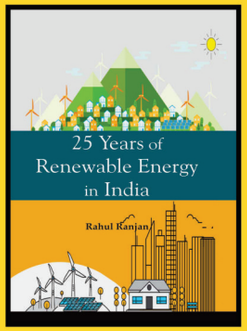

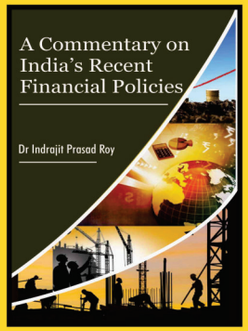

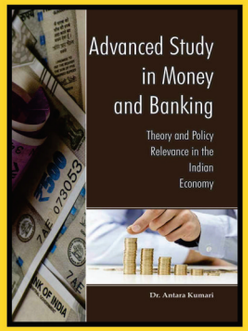

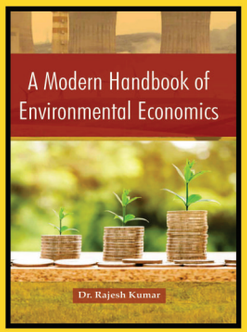

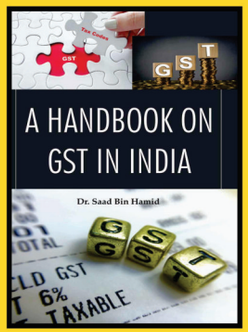

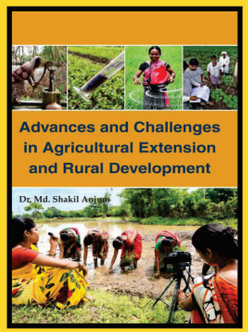

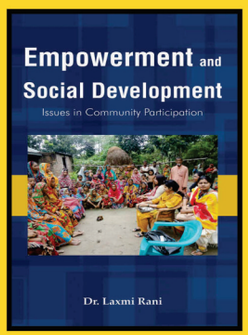

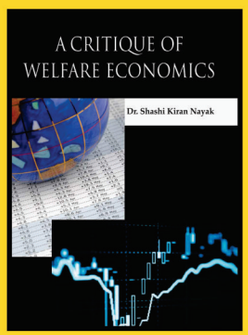

Global Press

448, Pocket-V, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091 (INDIA)
Ph.: 011-22753916

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

प्रधान संपादक

डॉ. अश्विनी महाजन

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संपादक

डॉ. प्रसून दत्त सिंह

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी

डॉ. फूल चन्द

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

दृष्टिकोण प्रकाशन

वर्ष : 12 अंक : 6 ❑ नवम्बर-दिसम्बर, 2020

दृष्टिकोण

संपादक मंडल

डॉ. अरुण अग्रवाल
ट्रेन्ट विश्वविद्यालय, पीटरबरो, ओंटारियो
डॉ. दया शंकर तिवारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी
काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ. प्रकाश सिन्हा
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
डॉ. दीपक त्यागी
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर
डॉ. अरुण कुमार
रांची विश्वविद्यालय, रांची
डॉ. महेश कुमार सिंह
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका
डॉ. हरिश्चन्द्र अग्रहरि
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
डॉ. पूनम सिंह
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
डॉ. एस. के. सिंह
पटना विश्वविद्यालय, पटना
डॉ. अनिल कुमार सिंह
जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा
डॉ. मिथिलेश्वर
वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
डॉ. अमर कान्त सिंह
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
डॉ. ऋतेश भारद्वाज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. स्वदेश सिंह
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. विजय प्रताप सिंह
छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

संपादकीय सम्पर्कः

448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091
फोन : 011-22753916, 35522994 Mobile: 9710050610, 9810050610
e-mail : editorialindia@yahoo.com; editorialindia@gmail.com; delhijournals@gmail.com
Website : www.ugc-care-drishtikon.com
©Editorial India
Editorial India is a content development unit of Permanence Education Services (P) Ltd.

ISSN 0975-119X

नोटः पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

सम्पादकीय

सोशल मीडिया कंपनियों का राजनीति में बढ़ता दखल

कुछ समय पूर्व यह विषय प्रकाश में आया कि कैम्ब्रिज एनालेटिका नाम की एक डाटा कंपनी ने 8.7 करोड़ लोगों के फेसबुक डाटा के आधार पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान में काम किया और ट्रंप की विजय में इस कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रश्न यह है कि कैम्ब्रिज एनालेटिका को फेसबुक का डाटा कहां से मिला, तो यह बात स्पष्ट है कि वो फेसबुक कंपनी से ही प्राप्त किया गया। यूं तो फेसबुक कंपनी द्वारा अपने डाटा बेचने के कई साक्ष्य मिलते हैं, और फेसबुक के मालिक मार्क जुकेरबर्ग ने इस संबंध में माफी भी मांगी थी, लेकिन भविष्य में इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृति नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

वर्ष 2018 में यह बात सामने आई कि इसी कैम्ब्रिज एनालेटिका कंपनी ने भारत की कांग्रेस पार्टी के लिए फेसबुक और ट्विटर के डाटा का उपयोग कर 2019 के चुनावों के लिए मतदाताओं के रूझान को बदलने के लिए कार्य करने का प्रस्ताव रखा। इस कंपनी की बेवसाईट पर यह दावा भी किया गया था कि वर्ष 2010 के चुनावों में उसने बिहार चुनावों में विजयी दल के लिए काम किया था। राजनीतिक दलों के लिए चुनावों की दृष्टि से सोशल मीडिया कंपनियों के डाटा का दुरूपयोग एक सामान्य बात मानी जाने लगी है।

लेकिन हालिया अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में इन सोशल मीडिया कंपनियों का दखल और अधिक सामने दिखाई देने लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगभग सभी ट्वीटों पर ट्विटर कंपनी की टिप्पणी आ रही थी। इससे स्वभाविक तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के सभी बयानों को संदेहास्पद बनाने में इस कंपनी की खासी भूमिका रही। हाल ही में अमरीका में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर एकाउंट सस्पेंड कर दिए जाने के कारण ट्विटर कंपनी बड़े विवाद का केन्द्र बन गई है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि इन सोशल मीडिया कंपनियों के पास इन प्लेटफार्मों को इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की निजी जानकारियां काफी बड़ी मात्रा में होती हैं। ये कंपनियां उनके सामाजिक रिश्तों, जात-बिरादरी, आर्थिक स्थिति, उनकी आवाजाही, उनकी खरीदारियों समेत तमाम प्रकार के डाटा पर अधि कार रखती हैं और इस डाटा का उपयोग वे राजनीतिक दलों के हितसाधन में भी कर सकती हैं। ऐसे में वे प्रजातंत्र को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि यदि सोशल मीडिया का उपयोग ईमानदारी से किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि ये सोशल मीडिया कंपनियां राजनीति को प्रभावित करने का व्यवसाय करने लगे, तो दुनिया में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ही नहीं बल्कि सामाजिक तानाबाना भी खतरे में पड़ जाएगा।

हालांकि ट्विटर कंपनी द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एकांउट को सस्पेंड करने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान अमरीका में शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के लिए खतरा हैं, लेकिन कुछ समय पूर्व फ्रांस में एक समूह द्वारा हिंसक गतिविधियों को औचित्यपूर्ण ठहराने वाली मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहातिर मोहम्मद की ट्वीट के बावजूद उनके ट्विटर एकाउंट को सस्पेंड न किया जाना दुनिया में लोगों को काफी अखर रहा है।

अत्यंत ताकतवर हैं ये टेक कंपनियां

गौरतलब है कि अकेले भारत में ही फेसबुक के 33.6 करोड़ से ज्यादा एकाउंट हैं, जबकि इस कंपनी द्वारा चलाई जा रही मैसेजिंग, वायस एवं वीडियो कॉल एप्लीकेशन के 40 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। इसी प्रकार फेसबुक इंस्टाग्राम एप की भी मालिक है, जो फोटो और विडियो साझा करने की एक लोकप्रिय एप्लीकेशन है। इससे सीधा-सीधा अंदाज लगाया जा सकता है कि भारत की एक बड़ी जनसंख्या का निजी, आर्थिक एवं सामाजिक डाटा इस कंपनी के पास है। इसी प्रकार भारत में ट्विटर के लगभग 7 करोड़ और दुनिया में 33 करोड़ एकाउंट हैं। फेसबुक, व्हाट्एप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंकेडिन आदि सोशल मीडिया ऐप्स हालांकि मुफ्त में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन अपने बड़े डाटाबेस का उपयोग वे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए करती हैं। इसी प्रकार सर्च इंजन चलाने वाली गूगल कंपनी भी अनेकों बार अपने लॉगरिथम का गलत इस्तेमाल करने की दोषी पाई गई है। आज भारत में विज्ञापन की दृष्टि से गूगल और फेसबुक सर्वाधिक आमदनी कमाने वाली कंपनियां बन चुकी है। इसी प्रकार अन्य कंपनियों के भी अपने-अपने बिजनेस मॉडल हैं। ये कंपनियां उपभोक्ताओं को काफी संतुष्टि भी प्रदान कर रही हैं, जिसके कारण उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है।

लेकिन इनकी बढ़ती लोकप्रियता और इन कंपनियों पर किसी भी प्रकार के अंकुश के अभाव में इन कंपनियों से समाज के तानेबाने को बिगाड़ने और लाभ के लिए कार्य करते हुए प्रजातंत्र को प्रभावित करने की केवल आशंकाएं ही नहीं बल्कि वास्तविक खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि इन कंपनियों के कार्यकलापों और लॉगरिथम में पारदर्शिता का पूर्णतया अभाव है। और यह बात भी स्पष्ट है कि ये कंपनियां लाभ के उद्देश्य से काम करती हैं और अपने शेयर होल्डरों के लिए अधिकतम लाभ कमाने के लिए अग्रसर रहती हैं। इसलिए स्वभाविकतौर पर, चाहे कानून के दायरे में ही रहकर, ये कंपनियां लाभ

कमाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। चूंकि इलैक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया हाल ही में आस्तित्व में आया है, इसलिए विभिन्न देशों के कानून उनको नियंत्रित करने में स्वयं को अक्षम महसूस कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी कानूनी बाध्यता के अभाव में ये कंपनियां सामाजिक और राजनीतिक तानेबाने और लोकतंत्र की भावनाओं पर चोट कर सकती हैं।

हाल ही में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा ध्यान में आया जब चीन की कुछ मोबाईल एप्स अमानवीय एवं असमाजिक कृत्यों में संलग्न थी, तो भी उन्हें प्रतिबंधित करने में सरकार को कानून के अनुसार निर्णय लेने में लंबा समय लगा। हालांकि जनता में चीन के प्रति बढ़ते आक्रोश के चलते बड़ी मात्रा में ऐसी एप्स प्रतिबंधित कर दी गई हैं, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि एप्स पर अंकुश लगाना आसान कार्य नहीं होगा। ऐसे में इन कंपनियों द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करने का खतरा हमेशा रहेगा।

क्या हो सकता है समाधान?

इन कंपनियों के संभावित खतरों के मद्देनजर चीन ने प्रारंभ से ही इन एप्स को अपने देश में प्रतिबंधित किया हुआ है और इन एप्स के मुकाबले में चीनी एप्स को विकसित किया गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि के उनके अपने ही विकल्प हैं। भारत भी ऐसा प्रयास कर सकता है कि चाहे इन सोशल मीडिया एप्स को जारी भी रखा जाए, लेकिन साथ ही साथ उनके विकल्प भी उपलब्ध हों। बड़ी संख्या में चीनी एप्स को प्रतिबंधित करने के बाद देश में भारत के ही स्टार्टअप्स के द्वारा अनेकों प्रकार के एप्स विकसित किए भी गए हैं।

इसी प्रकार सरकार सोशल मीडिया एप्स के द्वारा उनके डाटा के दुरूपयोग को रोकने के लिए डाटा संप्रभुता हेतु कानून बनाकर इन कंपनियों को पारदर्शी तरीके से अपने डाटा को भारत में ही रखने के लिए बाध्य कर सकती है। इन कंपनियों द्वारा डाटा माइनिंग को हतोत्साहित करते हुए भी लोगों के निजी डाटा के दुरूपयोग को कम किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी विकास के इस युग में उपभोक्ता संतुष्टि के साथ-साथ देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखना और सामाजिक तानेबाने को नष्ट करने के प्रयासों को रोकना यह सरकार की जिम्मेवारी है। इसके लिए इन सोशल मीडिया कंपनियों के प्रभावी नियंत्रण हेतु कानून बनाने के दायित्व से सरकारें विमुख नहीं रह सकती।

संपादक

इस अंक में

महिलाओं के मानवाधिकारों का सशक्तिकरण : संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमयों का विवेचन–कुमारी वन्दना 1
स्वातंत्र्योत्तर नेहरूवादी राजनीति में पत्रकारिता का स्वरूप–निधि सिंह 4
जिला सरकार की परिकल्पना व अनुप्रयोग : एक विमर्श–राजू कुमार पाण्डेय 6
भारत में कोरोना संक्रमण काल के पर्यावरण पर प्रभाव एक भौगोलिक अध्ययन–डॉ० विजय कुमार वर्मा 9
पर्यावरण पर आधुनिक कृषि के प्रभावों का भौगोलिक विश्लेषण–हरि शंकर गुप्ता 16
धौलपुर में डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन–संजय सिंह राघव 20
'वायु प्रदूषण का प्रभाव एवं संरक्षण एक भौगोलिक अध्ययन'–महेश चन्द मीना 26
भारत में खाद्यान्न स्थिति एवं खाद्य सुरक्षा का भौगोलिक अध्ययन–डॉ० रितेश कुमार अग्रवाल 31
'आओ पेपे घर चले: वैश्विक परिवेश में नारी'–डॉ० अर्चना मिश्रा 36
गुरु नानक वाणी में प्रस्तुत पंजाबी संस्कृति : एक अध्ययन–अमृतपाल कौर 38
हिन्दी साहित्य एवं अनुवाद : अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में–डॉ. (श्रीमती) कंचना सक्सेना; ऋतु वर्मा 41
कक्षा-कक्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) (सम्भावनाऐं एवं चुनौतियां)–डॉ० कैलाश पारीक 44
मध्यकालीन भारत की शिक्षा व्यवस्था (1206-1707) एक ऐतिहासिक अध्ययन–प्रो० कार्तिक प्रसाद यादव 48
हरदोई जनपद के बिलग्राम तहसील का पुरातात्त्विक सर्वेक्षण–डॉ० श्याम प्रकाश 53
जनप्रतिनिधियों का राजनीति संस्कृति स्वरूप संबंधी विचार विमर्ष–डॉ० जितेन्द्र पाटीदार 61
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और हिन्दी साहित्य–डॉ० दिनेश्वर कुमार महतो 64
वर्तमान समय में ई-गवर्नेंस के माध्यम से ग्रामीण परिवेश का चहुमुखी विकास 'एक अध्ययन'–डॉ. कविता अग्रवाल; चन्दना शर्मा 66
सरोज स्मृति पर सम्यक् दृष्टि–डॉ० हरिश्चन्द्र अग्रहरि 69
हवेली संगीत एवं पंडित जसराज का अंत: संबंध–स्नेहा कुमारी 72
उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति अभिवृत्ति के संदर्भ में वी-चित्रण (टमम क्पंहतंउ) विधि की प्रभावशीलता का अध्ययन–लालजी यादव; डॉ० सुधांशु सिन्हा 75
भारत में कुपोषण एवं स्वास्थ्य - एक अध्ययन–डॉ. मनोज कुमार 81
ग्राम एवं किसान जीवन का यथार्थ : 'अकाल में उत्सव' उपन्यास के सन्दर्भ में–मन्नू देवी 85
मोहन सपरा की कहन-भंगिमा–प्रो० सुधा जितेन्द्र; आत्मा राम 88
महिलाओं के कौशल विकास में एन.जी.ओ. की भूमिका (झारखंड के बगोदर-सरिया अनुमंडल के संदर्भ में)–अरुण कुमार 93
स्वतंत्रता से पूर्व बद्री-केदार यात्रा मार्ग पर स्थित चट्टियाँ एवं उनका सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से ऐतिहासिक अध्ययन–ओम प्रकाश मनोड़ी 96
रमेश उपाध्याय की कहानियों में स्वातंत्रयोत्तर भारतीय समाज में नारी की स्थिति–मीनाक्षी; डॉ० सुमन राठी 101
गलवान के संदर्भ में भारत चीन सीमा पर गतिरोध एवं भारतीय सुरक्षा–डॉ० मनीष लाल श्रीवास्तव 104
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857 ईस्वी) एवं अवध की रियासतें–डॉ० राजकुमार वर्मा 109
भाषा विकास–रवीन्द्र कुमार मिश्र 112
मध्य हिमालय के पशुचारण विवादों में लोकदेवताओं एवं खून्दों की भूमिका: एक ऐतिहासिक अध्ययन –डॉ० सुभाष चन्द्र; डॉ० राजपाल सिंह नेगी 115
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व रोजगार के अधिकार का विश्लेशण–डॉ० ममता यादव; शिव प्रताप यादव 129
स्त्री विमर्श के विशेष सन्दर्भ में उपन्यास 'दुक्खम-सुक्खम'–सुरजीत कौर 133
रीवा संभाग मे कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप का भौगोलिक विश्लेषण–प्रो0 शिव कुमार दुबे; सितेश भारती 136
शिक्षण के निमित्त अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान पर आधारित अनुदेशन सामग्री का महत्व–अनुपम अग्रवाल; डॉ० बाबूलाल तिवारी 143
शुक्रनीति में सप्ताङग् सिद्धान्त–डॉ० अनुजा सिंह 147
हिंदी साहित्य में मुशर्रफ आलम जौकी का योगदान–गुलशन समीना रियाज 151

गढ़वाल लोक देवताओ के प्रतीक चिन्हो का अध्यन एक प्रारंभिक विवेचन–डॉ. सपना 154
व्यक्तित्व विकास और बालमनोविज्ञान हिंदी उपन्यासों के संदर्भ में–डॉ० अमिता तिवारी 157
असमिया साहित्य की एक कालजयी रचना 'संस्कार': एक विवेचन–कुल प्रसाद उपाध्याय 161
जे. कृष्णमूर्ति के शैक्षिक चिंतन का विश्लेषण व वर्तमान प्रासंगिकता–डॉ० अनिता जोशी; डॉ० चन्द्रावती जोशी 164
मीराबाई की रचनाओं में प्रेम भावना–डॉ० जी० पद्मावती 169
आदिवासी बहुल क्षेत्र में उच्च शिक्षा की स्थिति (राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों का अध्ययन)–डॉ० मुख्त्यार अली 173
न्यायपालिका का एक नवीन दृष्टिकोण : न्यायिक-सक्रियताएवं जनहित-वाद–चन्द्रभान सिंह 184
कोरोना से क्वॉरन्टीन् होती 'शिक्षा-व्यवस्था'–खुशबू साव 190
भारत में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: एक भौगोलिक विवेचन–अशोक कुमार; डॉ. सुधीर मलिक 193
भारत से पलायन: एक संक्षिप्त परिचय–किशलय कीर्ति; चन्दन कुमार 198
मध्यवर्ग का आत्मसंघर्ष और मोहन राकेश का साहित्य–डॉ. रतन कुमार 201
उपेक्षित जीवन की त्रासद गाथा :'मुरदा-घर'–गंगा कोइरी 206
मूल्य और शिक्षा–रवि कान्त 209
राष्ट्रीय काव्यधारा में मैथिली शरण गुप्त का स्थान–डॉ० भगत गोकुल महादेव 213
वैदिक वाङमय में वर्णित विभिन्न चिकित्सा पद्धतियाँ–डॉ. दीप्ति वाजपेयी; कु. सन्जू नागर 216
हिन्दी और लोकभाषाओं में लोकजीवन–डॉ. आस्था तिवारी 220
समकालीन उपन्यासों में व्यक्त थर्ड जेंडर का त्रासद जीवन–राज कुमार शर्मा 224
विजय जोशी के कथा साहित्य में बाल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण–डॉ० गीता सक्सेना; श्रीमती सुमन डागर 228
रामचरितमानस का लोकपक्ष–डॉ० राजेश कुमार शर्मा 231
कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रम्–डॉ० सुमन कुमारी 237
गिरीश पंकज का रचना संसार–अमनदीप कौर; डॉ. सुनील कुमार 241
गीतांजलि श्री के कहानी-संग्रह 'अनुगूँज' का अनुशीलन–बंधना सलारिया; डॉ. सुनील कुमार 248
लीलाधर मंडलोई का रचना-संसार–तजिंदर कौर; डॉ. सुनील कुमार 254
अध्यापक शिक्षा में रचनावादी सिद्धांत और व्यवहार का अध्ययन–नगनारायण उपाध्याय 262
प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य में योग : एक विश्लेषण–डॉ० मोहन लाल चढ़ार 266
हरिशंकर परसाई के व्यंग्यों में विसंगति निरूपण–चुन्नीलाल 273
21वीं सदी के हिंदी उपन्यासों में आर्थिक पक्ष : 'आदिवासी समाज' के विशेष संदर्भ में–अनिल कुमार; डॉ. रीता सिंह 276
गुरु नानक बाणी जपु तथा योग दर्शन : जीवन दर्शन के संदर्भ में–दविन्द्र सिंह 279
महिला खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धी व्यवहार और नेतृत्व व्यवहार की तुलना–डॉ. विकास प्रजापति; डॉ. अकांक्षा प्रजापति; डॉ. कपिल दवे 284
प्रातिशाख्य परम्परा में वाजसनेयी-प्रातिशाख्य का महत्त्व एवं वैशिष्ट्य–डॉ. बाबूलाल मीना 287
संस्कृत के प्रमुख पुराणों में पर्यावरण चेतना–डॉ. आशा सिंह रावत 290
स्वातंत्रोत्तर भारत की सामाजिक समरसता की चुनौतियाँ एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन–डॉ० हरबंस सिंह 296
ऑन लाईन शिक्षण एवं प्रभाव–डॉ. महेश कुमार शर्मा; डॉ. श्याम सुन्दर कौशिक 300
तुलसीदास के जीवन संबंधी विवादित विविध दृष्टिकोण (जन्म संबंधित विवादित मुद्दे)–डॉ. मंजुला 304
सन साठ के बाद की हिन्दी कविता में भाषा और संवेदना की अन्त: संगति–डॉ० रंजीत सिंह 308
लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों में सामाजिक आदर्श–डॉ० उमेश कुमार शर्मा 312
मोक्ष : मानव जीवन का परम लक्ष्य–डॉ. प्रिय रंजन 318
प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का अभिभावकों के दृष्टिकोण से सर्वेक्षणात्मक अध्ययन (प्रयागराज जनपद के विशेष संदर्भ में)
–डॉ० श्रवण कुमार; डॉ० गिरीश कुमार द्विवेदी 321
अलवर जिले में भूमि उपयोग एवं फ़सल प्रतिरूप का भौगोलिक अध्ययन–राजेन्द्र परेवा; डॉ० विजय कुमार वर्मा 326
भारत में उच्च शिक्षा का निजीकरण : एक अध्ययन–नागेश्वर कुमार 331
सवाईमाधोपुर ज़िले में जल संसाधनों का भौगोलिक अध्ययन–अंकुश मीना; डॉ. जगफूल मीना 337

प्राचीन नगरी मल्हार के स्थापत्य कला, मूर्तिकला एवं मृणमूर्तियों का ऐतिहासिक विष्लेषण; मंजू साहू; डॉ. रामरतन साहू 346
संत साहित्य पर आचार्य रजनीश (ओशो) की अभिनव दृष्टि–शाहिद हुसैन; डॉ. स्नेहलता निर्मलकर 350
भारतीय समाज में बढ़ती आर्थिक व सामाजिक विषामताओं के परिणामों एवम चुनौतियों के परिपेक्ष्य में एक अध्ययन–शुभ सेजवार 354
लॉक डाउन में भिवाड़ी के वायु प्रदूषण स्तर का भौगोलिक विश्लेषण–सत्यदेव 360
कोरोना महामारी से उपजी इंपफोडेमिक में आरोग्य सेतु की भूमिका एवं स्थिति का अध्ययन–डॉ. अमरेन्द्र कुमार 364
"अंधा युग" में प्रतीकात्मकता–डॉ. राजेश्वरी सिहं तोमर 368
मानव तस्करी (बाल श्रम) से सम्बन्धित केसों का अध्ययन–सतीश कुमार 371
नवीन शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालयों की भूमिका–डॉ. अर्चना शुक्ला 375
अमेरिका में नस्लीय भेदभाव का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य–योगेन्द्र प्रसाद शर्मा 379
बच्चों एवं महिलाओं के विकास में आंगनबाड़ी केंद्र की भूमिका–स्मिता कुमारी 382
बदलते नामो का स्वरूप (इतिहास एवं वर्तमान संदर्भ में)–किसलय कुमार शुक्ल 384
प्राचीन बिहार के बौद्ध महाविहार विक्रमशिला : एक संक्षिप्त अवलोकन–राहुल कुमार झा 386
रमेशचन्द्र शाह की कहानियों में समाज के पारम्परिक मूल्यों की प्रासंगिकता–कृपा शंकर 389
कमजोर होती कांग्रेस–अजय कुमार; अरबिंद कुमार 394
जयशंकर प्रसाद के आधुनिकता और दृष्टि निर्माण में नवजागरण की प्रासंगिकता–अखिलेश यादव 397
मौर्य काल में विभिन्न आक्रमणों के ऐतिहासिक प्रभाव का अनुशीलन–शारदा प्रसाद सिंह 400
चम्पूकाव्यस्य परिभाषा रम्यत्वं महत्वम्–दीपक कुमार महतो 402
विभिन्न स्कूल वातावरण में बच्चों में भाषायी अधिग्रहण का मनोवैज्ञानिक अध्ययन–ज्योतिमा पाण्डेय 407
नामघर: असमिया जाति की एकता व समता का प्रतीक–बिद्या दास 411
राष्ट्रीय एकता के लिए अनुवाद साहित्य का महत्व–श्रीमती अलका यादव; डॉ. (श्रीमती) रेखा दुबे 414
उत्तरी बिहार के असंगठित क्षेत्रों में कौशल समायोजन और जनसांख्यिकीय स्थिति का अध्ययन–आलोक कुमार 417
विद्यालय शिक्षा में विद्यार्थियों की विज्ञान अभिरुचि विकसित करने की नव-प्रवृत्तियां–डॉ. महेश्वर गंगाधर कत्तावे 419
गांधी जी : एक दर्शन (वर्तमान परिप्रेक्ष्य में)–डॉ. सोनी यादव 423
'जूठन' - दलित जीवन का महाकाव्य–दिलना के 427
राजस्थानी समकालीन चित्रकार रामेश्वर सिंह का कला संसार–डॉ. इन्दु जोशी; कमल किशोर कश्यप 429
समकालीन ख़ौफ़ की सजीव अभिव्यक्ति : 'खुद पर निगरानी का वक़्त'–डॉ. नवनाथ शिंदे 433
मुगल शासकों के अधीन चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान के साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध–प्रो0 (डॉ.) रामानन्द राम 438
सूचना क्रांति और बाजारवाद से बदल गई संसदीय पत्रकारिता–डॉ. हरीश चंद्र लखेड़ा 442
शासन का नवीन स्वरूप : ई-शासन और सुशासन–डॉ. अशोक कुमार 446
आचार्य गौडपाद की द्वन्द्व-न्यायात्मक तर्कणा-पद्धति–डॉ. सुमित कुमार 450
याज्ञवल्क्य-गार्गी-संवाद का दार्शनिक पक्ष–अभिलाशा कुमारी 453
लेखांकन अनुपात की परिकल्पना तथा वाणिज्य–रजीत कुमार तिवारी 456
जयपुर के पर्यटन विकास एवं संरक्षण का भौगोलिक अध्ययन–शोभा शर्मा 458
हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में लैंगिक असमानता एवं खांप पंचायतों की भूमिका–इन्दु 464
सत्याग्रह का गांधीवादी परिप्रेक्ष्य और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता–डॉ. आशुतोष पांडेय 469
कश्मीर विलय के प्रश्न का कश्मीर समस्या में रुपान्तरण : एक पुनर्दृष्टि–अनुतोष कुमार 472
रामधारी सिंह दिनकर के कथा साहित्य में जीवन मूल्यों का महत्व–प्रदीप कुमार गुप्ता 476
समकालीन समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका–डॉ. अश्वनी चौधरी 479
समकालीन स्त्री आत्मकथाओं में स्त्री विमर्ष: मन्नू भण्डारी और प्रभा खेतान के विशेष संदर्भ में–रजनी जोशी 482
आदिवासियों के आर्थिक शोषण की समस्या और हिन्दी उपन्यास–डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय 484
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व राजभाषा हिंदी : नीति एवं प्रयोग–आरती शर्मा 487
तत्वों के आधार पर उपन्यास 'पुनर्नवा' का तात्विक विश्लेषण–डॉ. एस. प्रीति 495

अनुभव से अर्जित भावभूमि के कवि : संतोस श्रेयांस–डॉ. एस. रजिया बेगम 503
बिलासपुर जिले का ऐतिहासिक अध्ययन (बिलासपुर रेल्वे जोन आंदोलन के विशेष संदर्भ में)–श्रीमती हंसा तिवारी; डॉ. अंजू तिवारी 505
नव सहस्राब्दि में हिंदी तथा राजभाषा के रूप में उसकी स्वीकृति–हेमंत कुमार यादव 508
गुरु नानक साहिब जी का जीवन-वित्तांत: कवि वीर सिंह बल रचित ग्रंथ 'गुरकीरत प्रकाश' के विशेष संदर्भ में–गुरमिंदर सिंह 511
दलित आंदोलन: राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में गांधी और अम्बेडकर का दृष्टिकोण–काजल 516
अलवर ज़िले में ग्रामीण विकास योजनाओं का अध्ययन–प्रदीप कुमार; डॉ. अनीता माथुर 518
राजस्थान के बाड़मेर जिले में ग्रामीण मानव अधिवासों का वितरण–जसराज 522
शानी के उपन्यासों में नारी चेतना–सोनिका कौशल 527
लोहिया और आर्थिक दर्शन–डॉ० मोहित कुमार लाल 529
कर्ण सिंह 'कर्ण' की काव्य शैली और काव्य सौन्दर्य–डॉ. जे. आत्माराम 532
दलित उत्पीडन का दस्तावेज–डॉ. रतिका पंचारपोयिल कोट्टायी 536
वर्तमान समय में आपदा चुनौतियों के प्रबंधन में समाजकार्य क्षेत्र की प्रासंगिकता–डॉ. शिवसिंह बघेल; डॉ. सुशील कुमार पाण्डेय 538
सामाजिक न्याय एवं वाल्मीकि जाति : हरियाणा के नूंह जिले के विशेष सन्दर्भ में–दीपक 541
स्वामी महावीर के शिक्षाओं की वर्तमान में प्रासंगिता–प्रो. रश्मि मेहरोत्रा; ऊषा यादव 546
हिन्दी उपन्यास की सुदीर्घ परम्परा और स्त्री लेखिकाएँ–डॉ. सुरेन्द्र सिंह; डॉ. यदुवीर सिंह खिरवार 549
'मृदुला गर्ग की कहानियों में समकालीन नारी' ''समकालीन कहानी का अस्तित्व''–मंजू कुमारी 552
बहुजन उपन्यास में बदलता परिवेश–डॉ. राजेंद्र घोडे 554
अनामिका : व्यक्तित्व और कृतित्व–स्वर्णिम शिप्रा 556
नेपाल में चीन के बढ़ते कदम: भारत के परिपेक्ष्य में–आशुतोष कुमार 559
मनुस्मृति के परिप्रेक्ष्य में नारी विमर्श–डॉ. ईशरत सुल्तान 563
हिन्दी कथा साहित्य में पूंजीवादी व्यवस्था एवं पृष्ठभूमि–डॉ. प्रदीप कुमार सिंह 566
मार्गदर्शक तुलसीदास–रघुनन्दन हजाम 580
भारत में नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों का उद्भव एवं विकास–डॉ० राहुल देव 583
संत सुंदरदास और उनका 'सुन्दरविलास'–वीरेश कुमार 588
आचार्य राम चंद्र शुक्ल का हिंदी में विज्ञान सम्बन्धी चिंतन में योगदान (विश्व प्रपंच की भूमिका के सन्दर्भ में)
–सुजीत कुमार त्रिपाठी 'पुरकैफ' 590
बिहार में राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक महत्व के कारण पर्यटन स्थलों का विकास–मनु कुमार; डॉ0 राधेश्याम सिंह 593
वैश्विक एकता और अखंडता की अभिलाशी प्रवासी कविताएं (सुरेशचन्द्र शुक्ल के 'गंगा से ग्लोमा तक' का संदर्भ)
–प्रो० (डॉ.) सुधा जितेन्द्र; रमनदीप कौर 597
असम में कोरोना महामारी : साहित्य और सोशल मीडिया–मिजानुर हुसैन मण्डल 603
जम्मू कश्मीर के पुराणों का महात्म्य–मीना कुमारी 606
रहस्यवादी कवि नुन्द ऋषि के श्रुकों का भाषावैज्ञानिक परिचय–परवेजा अखतर 611
सामाजिक अनुसंधान तथा तकनीकी विकास–डॉ. अनुराग कुमार पाण्डेय 615
दक्षिण एशिया क्षेत्र में ड्रग्स और छोटे हथियारों की तस्करी–मिथिलेश; डॉ. शकील हुसैन 619
मौर्य काल से वर्तमान काल तक यक्ष पूजा : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन–प्रो० देवेन्द्र कुमार गुप्ता; अवधेष कुमार 623
बूंदी जिले के बरड़ क्षेत्र में खनन उद्योग का आर्थिक-सामाजिक पर्यावरण पर प्रभाव–जुगराज मीना 626
गोलमेज सम्मेलन : दलित सामाजिक समस्या एंव राजनीतिक अधिकारों का एक अध्ययन–सुरेन्द्र 631
भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज की भूमिका–श्रीमती अनिता बरगाह; डॉ. राजीव शर्मा 634
हरियाणा के सिरसा जिला में भूमि किराया अधिनियम एवं कृषि परिवर्तन (1803-1900)–सुरेन्द्र सिंह 638
शाही नौसैनिक विद्रोह (1946) व उच्चवर्गीय भारतीय नेताओं का रवैया–मोहन लाल 642
भारत -रूस संबध : सामरिक संबंधो का 21 वीं शताब्दी के संदर्भ में एक अध्ययन–डॉ रणबीर गुलिया; अमित कुमार 646
संपोशणीयता की दृष्टि का भारतीय आधुनिक दृष्य कला में प्रयोग: एक विवेचन–अर्जुन कुमार सिंह; अमित कुमार दास 650

भारत के मुकाबले चीन का नेपाल में बढ़ता प्रभाव : एक अध्ययन–सत्येन्द्र कुमार 657
महिला सशक्तिकरण में लोकनीति का योगदान–सीमा 660
पर्यावरण-संरक्षणम्–डॉ. मधु बाला मीना 663
अलवर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास एवं सम्भावनाएँ–प्रतिभा बैरवा 667
भारत में मेक इन इण्डिया की अवधारणा और आर्थिक विकास का सन्दर्भ–प्रोफेसर (डॉ.) संजय कुमार झा 672
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये दिशा निर्देश पी.एच.डी. शाोध उपाधि के सन्दर्भ में
–डॉ. संजीत कुमार साहू; डॉ. राकेश कुमार डेविड; डॉ. शोभना झा 676
राष्ट्रीय आन्दोलन में सुभाष चन्द्र बोस की भूमिका–संतोष कुमार शर्मा 680
ब्रिटिश कालीन भारत में कृषक समस्या (चंपारण के विशेष संदर्भ में)–प्रभाव और परिणाम–धीरज कुमार 684
वैश्विक महामारी एवं मानसिक स्वास्थ्य संकट मनोविज्ञान की भूमिका एवं मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता–डॉ. रश्मि पंत 689
नीमराना में ठोस अपशिष्टों का भौगोलिक अध्ययन–अरविन्द शुक्ला; डॉ. खेमचन्द शर्मा 693
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् (शि.पु. को. रू. सं. के संदर्भ में)–डॉ. गोपेश कुमार तिवारी 698
महिला रोजगार पर शिक्षा का प्रभाव: एक प्राथमिक विश्लेषण–डॉ. अरविन्द कुमार 701
यौगन्धरायण में सांस्कृतिक दर्शन–डॉ. वेद प्रकाश मिश्र; श्रीमति नगीता सोनी 705
भारत में जनसंख्या नियंत्रण नीति : एक सामाजिक-विधिक अध्ययन–रमेश कुमार प्रजापति 709
'हिन्द स्वराज' में वर्णित विचारों का आज के भारत के लिए प्रासंगिकता–राजेश कुमार 714
राजस्थान में राजनीतिक दलों की सहभागिता एवं प्रदर्शन–डॉ. जनक सिंह मीना 717
भारत-मालदीव समकालीन द्विपक्षीय संबंध–विजय शंकर चौधरी 724
स्वतन्त्रता के बाद गोरखपुर में हिंदुत्व का प्रसार और सहायक संस्थाए–प्रमोद कुमार पाण्डेय 728
कांमा तहसील में अवैध खनन एवं पर्यावरण पर प्रभाव–चन्द्र शेखर; डॉ. गायत्री यादव 732
प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन का ग्रामीणों के उत्थान में योगदान–डॉ. पंकज मिश्र 737
छायावादी कविता में राष्ट्रीय चेतना–डॉ. आलोक प्रभात 740
भारतीय लोकतंत्र में सोशल मीडिया का प्रभाव: गैर-हिंदी भाषी राज्यों के विशेष संदर्भ में–डॉ. संजय सिंह बघेल 743
सार्वजनिक वितरण प्रणाली, चुनौतियों और समाधान–जलेंद्र कुमार शर्मा 752
यज्ञानुष्ठान में वेदांगों की उपादेयता–कुमुद कुमार पाण्डेय 759
पहाड़ी अंचल में बसी काँगड़ा चित्र शैली का विकासक्रम–डॉ. निशा गुप्ता 765
प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में पाठ्यक्रम व्यवस्था–डॉ. सुनीता 769
श्रीमद्भागवद्गीता में वर्णित नैतिक शिक्षा–डॉ. सरोज कुमार जायसवाल 774
ज्योतिबा फुले के कार्यों में मानवतावादी चिंतन–डॉ. अजय बहादुर सिंह 777
उत्तर आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में अलका सरावगी का उपन्यास 'एक ब्रेक के बाद'–निशा रानी 781
भारत में कोरोना और स्वदेशी संकल्प–डॉ. युवराज कुमार 784
'आषाढ़ का एक दिन' नाटक में नारी (आधुनिकता के विशेष संदर्भ में)–संगीता कुमारी पासी 790
विकास के क्रम में भारतीय समाजशाास्त्र–डॉ. दिनेश व्यास; डॉ. गौरव गोठवाल 793
माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के समायोजन का अध्ययन–प्रेरणा सेमवाल 798
सभ्य समाज की असभ्य सोच-चीफ की दावत–मीनाक्षी शर्मा 805
मकराना शहर में खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों से बढता ध्वनि प्रदूषण: एक चुनौती–निशा चौधरी; डॉ. रश्मि शर्मा 807
वेदों के विषय में आचार्य सायण एवं महर्षि दयानन्द का दृष्टिकोण–सुनील कुमार 813
वैश्विक महामारी : समावेशी विकासीय परिप्रेक्ष्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन (अनुसूचित जातियों के विशेष संदर्भ में)–डॉ. चन्द्रा चौधरी 818
सार्त्र और मार्क्सवाद : एक समीक्षात्मक अध्ययन–श्याम रंजन पाण्डेय 823
अश्विनीकुमार : एक कथा–डॉ. नीलम सिंह 826
कोविड-19 और भारतीय शिक्षण प्रणाली में बदलाव-एक अध्ययन–डॉ. राजेश्वर दिनकर रहांगडाले 828
ग्रहण का वैज्ञानिक स्वरूप–डॉ. भगवानदास जोशी 831

राहुल सांकृत्यायन की कहानियों में अभिव्यक्त समाज : एक विश्लेषण–डॉ. कश्मीरी लाल 836
सामाजिक अवमूल्यन में पत्रकारिता की भूमिका–प्रो. (डॉ.) अरुण कुमार भगत; प्रो. अमिताभ श्रीवास्तव 839
सूफी काव्य में सृष्टि का सौंदर्य और प्रेम चित्रण–डॉ. दिलीप कुमार कसबे 843
भारत–पाकिस्तान संबंध एवं आतंकवाद–डॉ. सुरेन्द्र सिंह 846
बुद्धिमता के खोखले अहं में पनपते विमोह का यथार्थ चित्रण : आपका बंटी–डॉ. लवलीन कौर 852
कुमाऊँ मण्डल के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवासी श्रमशक्ति की व्यवसायिक गतिविधियां (एक सामाजिक विश्लेशण)–विजेता पवार 857
आधुनिक दलित साहित्य की चेतना और प्रेमचंद के साहित्य में निहित दलित चेतना : एक तुलनात्मक अध्ययन–प्रांजल कुमार नाथ 861
मिथकीय चेतना : अर्थ, परिभाषा और अवधारणा–सचिन मदन जाधव 865
क्षेत्रीय भू-राजनीति एवं भू-आर्थिक आयाम का सैद्धांतिकीय विश्लेषण–रत्नेश कुमार यादव 869
भरतपुर ज़िले में जल जनित रोगों में मलेरिया का तुलनात्मक अध्ययन–देवेन्द्र कुमार शर्मा 874
समकालीन भारत के संदर्भ में एकात्म मानववाद–मुनमुन 881
रचनात्मक अभिव्यक्ति और जैनी मेहरबान सिंह–डॉ. राम बिनोद रे 885
कोशी अंचल की लोक कथाओं का विश्लेषण–विनय कुमार चौधरी 888
अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीड विकास हेतु किए गए सरकारी प्रयासों का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन–मनोज कुमार वर्मा 892
मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं का यौगिक चिकित्सा व प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा प्रबंधन
–डॉ. राधिका चन्द्राकर; डॉ. सावित्री साहू; श्री आशीष धार दीवान; सुश्री मालती बाग; डॉ. राधिका चन्द्राकर 895
राजेंद्र यादव का आत्मकथ्यांश 'मुड-मुड़के देखता हूँ...': वैचारिक पक्ष–डॉ. साताप्पा लहू चव्हाण 901
कालिदास के रूपकों में प्रमुख पुरुष-पात्रों की विनियोजना का वैशिष्ट्य–सुस्मिता रानी 904
राही मासूम रज़ा के हिन्दी उपन्यासों में लोकजीवन–ईश्वर चन्द्र 908
भारत छोड़ो आंदोलन एक जन-विद्रोह–लव कुमार 912
संयुक्त प्रान्त में रेलवे के विकास के सामाजिक प्रभाव 1860-1914–रमेश कुमार 916
कैमूर जिला में सरकारी योजनाओं का महिला साक्षरता पर प्रभाव–रीता कुमारी 920
राष्ट्रीय आंदोलन में सत्य अंहिसा के पुजारी महात्मा गाँधी: एक अध्ययन–डॉ. संजीव 924
सुभाषचन्द्र बोस के राजनीतिक विचारधारा पर महात्मा गाँधी के प्रभाव का ऐतिहासिक अध्ययन–तौकीर आलम 926
राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में समीक्षात्मक अध्ययन–डॉ. लवलेश कुमार 930
भारत में हरित क्रांति का एक संक्षिप्त मूल्यांकन–अनूप कुमार सिंह 932

आदिवासियों के आर्थिक शोषण की समस्या और हिन्दी उपन्यास

डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय

सहायक प्राध्यापक हिन्दी, शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

शोध-सारांश

वर्तमान में देश की अधिकांश जनजातियाँ कृषि कार्य में लगी हुई हैं। लेकिन इनमें से भू-स्वामियों का प्रतिशत बहुत ही कम है। अधिकतर आदिवासी या तो खेतिहर मजदूर हैं या फिर बंधुआ मजदूर। इन मजदूरों का व्यापक पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक शोषण किया जाता है। स्थिति इतनी गंभीर है कि मजदूरी के रूप में उन्हें जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे उन्हें तथा उनके परिवार को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। जनजातियों का भूमि पृथक्करण के द्वारा भी आर्थिक शोषण किया जाता है। उनको नाममात्र के ऋण पर भी अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है और उस ऋण पर ब्याज दर इतनी ऊँची होती है कि उसे चुकता करना सामान्य आदिवासियों के लिए प्राय: संभव नहीं हो पाता है और फिर जमीन उनके हाथ से निकल जाती है। यही कारण है कि आज अधिकांश आदिवासी अपनी परंपरागत जमीनों से बेदखल हो चुके हैं। जो जमीनें उनके नाम पर बची भी हैं उन पर समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग के लोगों ने कब्जा किया हुआ है। आज जनजातीय परिवारों के पास अपना घर बनाने के लिए भी स्वयं की भूमि नही है। आजादी के बाद भी आदिवासियों के शोषण में कोई उल्लेखनीय कमी नही आई है। यही कारण है कि आदिवासियों का विकास उस अनुपात में नही हुआ जिसकी अपेक्षा थी।

Keywords : साहूकार, जमीदार, ब्याज, शोषण, कर्ज, मजदूरी, भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाएं, विस्थापन, मुआवजा, कम मजदूरी।

वर्तमान समय में आदिवासी समाज कई स्तरों पर संकट का शिकार है। वह अपने अस्तित्व के लिए लगातार संघर्षरत् है। आदिवासियों के विकास में उनका शोषण सबसे बड़ी बाधा है। इस शोषण के विभिन्न रूप हैं। आजादी के बाद भी आदिवासियों के शोषण में कोई उल्लेखनीय कमी नही आई है। यही कारण है कि आदिवासियों का विकास उस अनुपात में नही हुआ जिसकी अपेक्षा थी। आदिवासियों का आर्थिक शोषण अत्यंत गंभीर समस्या है। भूमि हड़प लेना, भारी मात्रा में सूदखोरी, बेगार, जंगलों में आवश्यकता से अधिक परेशान करना आदि ऐसे तरीके हैं जिनके जरिये आये दिन आदिवासियों का शोषण किया जाता है। आदिवासियों में व्याप्त ऋणग्रस्तता इनके आर्थिक शोषण का सबसे बड़ा औजार है। पारिवारिक स्तर पर यह दरिद्रता, आय व न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताओं के बीच असमानता, लाभदायक गतिविधियों को चलाने के लिए जोतों की कमी व बेरोजगारी का सूचक है। आज भी अनुमानत: 85 प्रतिशत आदिवासी परिवार ऋणग्रस्तता से प्रभावित हैं।

वर्तमान में देश की अधिकांश जनजातियाँ कृषि कार्य में लगी हुई हैं। लेकिन इनमें से भू-स्वामियों का प्रतिशत बहुत ही कम है। अधिकतर आदिवासी या तो खेतिहर मजदूर हैं या फिर बंधुआ मजदूर। इन मजदूरों का व्यापक पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक शोषण किया जाता है। उन्हें नाममात्र की मजदूरी दी जाती है और फिर दिन भर कठोर परिश्रम लिया जाता है। स्थिति इतनी गंभीर है कि मजदूरी के रूप में उन्हें जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे उन्हें तथा उनके परिवार को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। आज भी कई जगह आदिवासियों को नगद मजदूरी की जगह श्रम के मूल्य के रूप में अनाज दिया जाता है। आम तौर पर मोटे अनाज उनकी मजदूरी के रूप में दिये जाते हैं। यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि अनाज की माप के लिए प्रयुक्त होने वाली सामाग्री भी तय मानक के अनुरूप नही होती। जिसका परिणाम यह होता है कि आदिवासियों की मजदूरी उनके श्रम मूल्य से कई गुना कम हो जाती है। यदि इसका मूल्य मुद्रा के रूप में देखा जाय तो यह बेहद कम होता है। मजदूरी से भोजन का इंतजाम भी न होने के कारण बहुत से आदिवासी परिवार कृषि के साथ-साथ जीवन-यापन के अन्य तरीकों का भी सहारा लेते हैं, जैसे-वनों से लकड़ी काटना, इकट्ठा करना और निकट के बाजारों में उन्हें बेचना, शहद बेचना, छोटे-मोटे औजार बनाना, लघु वनोपजों का संग्रह करना, बाँस से बनी हुई चीजें तैयार करना इत्यादि। लेकिन उनके समक्ष फिर यही शोषण की समस्या आती है। उन्हें अपनी वस्तुओं का उचित मूल्य नहीं मिलता और मजबूरी में रोटी के लिए औने-पौने दामों में चीजें बेचनी पड़ती हैं। आदिवासियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के विपणन की कोई संस्थागत व्यवस्था न होने के कारण उन्हें कभी भी अपने उत्पादों का उचित मूल्य नही मिल पाता। जबकि शहरों में उनसे खरीदी गई यही वस्तुएं महंगे दामों में बेची जाती हैं। नतीजा यह होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नही हो पाता। शोषण की यह प्रवृत्ति कई स्तरों पर एक साथ जारी रहती है। यह अत्यधिक चिंताजनक है।

जनजातियों का भूमि पृथक्करण के द्वारा भी व्यापक पैमाने पर आर्थिक शोषण किया जाता है। उनको नाममात्र के लिये गये ऋण पर भी अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है और उस ऋण पर ब्याज दर इतनी ऊँची होती है कि उसे चुकता करना आदिवासियों के लिए प्राय: संभव नहीं हो पाता है और फिर जमीन उनके हाथ से निकल जाती है। यही कारण है कि आज अधिकांश आदिवासी अपनी परंपरागत जमीनों से बेदखल हो चुके हैं। जो जमीनें उनके नाम पर बची भी हैं उन पर समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग के लोगों ने कब्जा किया हुआ है। आज जनजातीय परिवारों के पास अपना घर बनाने के लिए भी स्वयं

की भूमि नही है। देश के आर्थिक विकास के लिए होने वाले उद्योगों की स्थापना और खनिजों के दोहन के चलते भी आदिवासियों का आर्थिक शोषण हुआ है। एक तो बाहरी व्यक्ति आदिवासी इलाकों में आते हैं और उनका शोषण करते हैं। दूसरे उन्हें उनकी भूमि का पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जाता और न ही उनके पुनर्वास के लिए कोई कारगर रणनीति अपनायी जाती है। नतीजा यह होता है कि उनके समक्ष जीवन का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। भारत में बड़ी परियोजनाओं की स्थापना से सर्वाधिक विस्थापन के शिकार आदिवासी हुए हैं। विस्थापन से न केवल आदिवासी बेघर होते हैं बल्कि उनका पूरा जीवन तंत्र नष्ट हो जाता है। आधुनिक भारत के विकास की यह सबसे बड़ी समस्याओं में एक है। इसी प्रकार वनों के निचले स्तर के कर्मचारी भी आदिवासियों का मनमाफिक शोषण करते हैं। चूंकि आदिवासियों की जीविका का वनों से गहरा संबंध है, इसलिए ऐसे शोषणों के खिलाफ ये लोग आवाज भी नहीं उठा पाते हैं। इस प्रकार जीवन भर शोषण के दुश्चक्र में उनकी जिंदगी फँसी रहती है। हालांकि उन्हें शोषण से बचाने के लिए तमाम प्रावधान संविधान और अन्य संसदीय कानूनों में किये गये हैं लेकिन उनका अपेक्षित लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है।

हिन्दी के विभिन्न उपन्यासों में आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक शोषण को बड़ी संजीदगी के साथ उठाया गया है। आदिवासी हिन्दी उपन्यासों में आजादी के बाद अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हालांकि आदिवासियों की समस्याओं को प्रमुखता से जगह बीसवीं सदी के आखिरी दशक के उपन्यासों में मिलनी प्रारंभ होती है। आदिवासी केन्द्रित विभिन्न उपन्यासों के संवादों से उनके आर्थिक शोषण की परतें खुलने लगती हैं। संजीव के उपन्यास 'जंगल जहाँ शुरू होता है' का काली थारुओं के आर्थिक शोषण पर सोचता है-''महीने भर नहर पर काम करता रहा। पैसे माँगने पर टरकाया जाता रहा और जब जिद कर बैठा तो ठेकेदार ने हाथ ही छोड़ दिया उस पर। किसी ने भी उसका साथ न दिया। उलटे सेठ उसी को भला-बुरा कहने लगा, उसे ही माफी मांगनी पड़ी। इतनी हतक! तू अभी जिंदा ही है काली? उधर मुकदमें का यह हाल है कि पैसों के चलते ही मुकदमा खारिज होने जा रहा है।''[1] शोषण की हालत यह है कि अक्सर साहूकार लोग सीधे-साधे आदिवासियों को उनके श्रम का कम मूल्य देते हैं और आदिवासी बिना किसी प्रतिक्रिया के इस नियति को स्वीकार कर लेता है। 'गगन घटा घहरानी' उपन्यास में मजदूरों द्वारा न्यूनतम मजदूरी मांगे जाने पर ठेकेदार का मुंशी कहता है-''मजदूरी कम मिलती है तो जहाँ ज्यादा मिले वहाँ जाओ। सरकारी नौकरी नहीं है। ठीकेदार को जितना पोसाई पड़ेगा उतने देगा।''[2] रोजगार के वैकल्पिक साधन न होने के कारण अक्सर आदिवासियों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

ऋणग्रस्तता आर्थिक शोषण का सबसे बड़ा औजार है। साहूकार और जमींदार आदिवासियों को जरूरत पड़ने पर पैसा देते हैं और जानबूझकर कोशिश करते हैं कि ऋणों की वापसी न होने पाये। ब्याज की दर भी इतनी ऊँची होती है कि आदिवासी चाहकर भी समय पर पैसे का भुगतान नहीं कर पाता और साहूकार द्वारा बनाये गये शोषण के चक्र में पिसता रहता है। 'नदी के मोड़ पर' उपन्यास का साहूकार खंडेलवाल अपने बेटे से आदिवासियों को लक्ष्य कर कहता है- ''बेटे, एक बड़ी मुसीबत टल गई और वह भी बिना कुछ लिये-दिये, बस जुबानी खेल था। बाढ़ में यदि ये आदिवासी और उनके गाँव के गाँव बह जाते तो हमारी वसूली मुश्किल थी। फिर तुम तो जानते ही हो-हमारा सारा धंधा ही इनके भरोसे चलता है, ये हमारे एजेन्ट या हम इनके सोल सेलिंग एजेंट हैं। इन जंगल पुत्रों को हम अपने लिए जिंदा चाहते हैं बेटे। इन्हीं की बदौलत अपने ठाट-बाट हैं। इनके खून-पसीने से हमारी इमारतें खड़ी हैं। ये जितने ही बेवकूफ रहेंगे, उतने ही हम लोग चाँदी काटेंगे। समझे कि नहीं!''[3] साहूकार के इस कथन से उस मानसिकता का पता चलता है जो आदिवासियों के शोषण के लिए मुख्यत: जिम्मेदार है। शोषकों की यह मानसिकता लंबे अरसे से चली आ रही है। वस्तुत: उनकी आर्थिक बुनियाद ही आदिवासी शोषण पर टिकी है। 'पठार पर कोहरा' उपन्यास में लेखक झारखंड के संबंध में इसी समस्या पर टिप्पणी करते हुए लिखता है -''यहाँ तो हर दूसरे गाँव में एक आदमखोर सामंत बसता है शायद। जाति-धर्म से ऊपर- ऐसे आदम खोरों का एकमात्र धर्म होता है - गरीबों का रक्त पीना! श्रमिकों के श्रम को अपने पैरों तले दबाना। वनोपज की कमाई से शहरों में अट्टालिकाएँ खड़ी करना।''[4] संजीव अपने उपन्यास 'पाँव तले की दूब' में भी झारखंड के आदिवासियों की स्थिति के संबंध में चिंता जाहिर करते हैं। उपन्यास का पात्र सुदीप्त समीर से बातचीत के दौरान कहता है- ''यू नो, झारखंड खनिज संपदा का भंडार है। नए-नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, नयी दुनिया की पगध्वनि! अगर सरकार ईमानदारी से इनका हक दे दे तो एक ही छलांग में कई मंजिलें अपने-आप तय हो जाती हैं- पर अन्याय देखो, आदिवासियों को, जिनकी जमीन पर ये कारखाने लग रहे हैं, उन्हें टोटली डिप्राइव किया जा रहा है - इस संपत्ति में उनकी भागीदारी तो खत्म की ही जा रही है, उन्हें जमीन से भी बेदखल किया जा रहा है, मुआवजा भी अफसरों के पेट में!''[5] संजीव के ही उपन्यास 'सावधान! नीचे आग है' में चित्रित आर्थिक शोषण के संबंध में इन्दु पी.एस. लिखती हैं- ''ठेकेदार मजदूरों को बहुआयामी शोषण का शिकार बनाते हैं। मर्दों को काम के लिए कुत्तों की तरह पूँछ हिलाना पड़ता है और अगर नौकरी मिल भी गयी तो पूरी मजूरी मिलेगी नहीं। मजदूरों के पेमेन्ट के दिन ही अपना सूद वसूल करने के चक्कर में जबरदस्ती उनकी पूरी की पूरी तनख्वाह छीन ली जाती है। बाद में उन्हें उधार की शराब, उधार का अनाज और उधार का कपड़ा-लत्ता लेने के लिए मजबूर कर दिया जाता है।''[6] इस तरह हम देखते हैं कि पूरी व्यवस्था ही विकृत रूप ले चुकी है।

आर्थिक शोषण का एक रूप यह भी है कि आदिवासियों को अपनी कमाई का एक हिस्सा घूस इत्यादि के रूप में समाज के रुतबेदार लोगों को देना पड़ता है। 'मौसी' उपन्यास में रमणिका गुप्ता इस समस्या को उठाती हैं- ''अब महुआ-सखुआ पर भी तो बहुतों की नजर लगी रहती है। सिपाही से लेकर मुखिया, नेता, रंगदार सभी का हिस्सा देना पड़ता है। अब खेती करने पर भी तो पूरा नहीं पड़ता। तब भी हजारीबाग आकर खटना पड़ ही जाता है।''[7] मैत्रेयी पुष्पा भी अपने उपन्यास 'अल्मा कबूतरी' में इसी तरह की चिंता जाहिर करती हैं। उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र रामसिंह कबूतरा सोचता है-''पगार का एक हिस्सा थाने में, दूसरा विकास ऑफिस में। ऊपर से नेक सलाह कहाँ आ फँसा, अपने धंधे में लौट जा। पुलिस की शक्की निगाहों से छुटकारा नहीं मिला अभी।''[8] भ्रष्टाचार आदिवासियों के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। यह आज भी बदस्तूर जारी है। योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी, दलाली, मनमाफिक हितग्राहियों का चयन, शासकीय धन का दुरूपयोग, कमीशनखोरी ने भ्रष्टाचार को बहुत गंभीर बना दिया है।

हमारे गाँवों में आज भी आदिवासियों के शोषण के विभिन्न तरीके अपनाये जा रहे हैं। शोषण की प्रवृत्ति महाजन और जमींदार में इतनी सशक्त है कि वे इसे बनाये रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। समाज में फैलने वाली जागरूकता के वे विरोधी हैं और चाहते हैं कि पुरानी व्यवस्था जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है वो बदस्तूर जारी रहे। जिससे वे अपना हित निर्बाध रूप से साधते रहें। 'पठार पर कोहरा' उपन्यास में नवजागरण के वाहक मास्टर संजीव

खूब समझते हैं अब कि ''साहू और बेचू तिवारी को गजलीठोरी की इसी सामाजिक और आर्थिक संरचना को कायम रखने में अपना हित दिखता है। गजलीठोरी के इस चेहरे का समीकरण बदलना वे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अत: वे संजीव को भी सहन नहीं कर पाते, क्योंकि संजीव के कार्यों से उनके किन्हीं हितों को चोट पहुँचती दिखती है।''[9]

इस प्रकार हम देखते हैं कि सीधे-साधे आदिवासियों का समाज के तथाकथित ठेकेदार तरह-तरह से शोषण करते हैं। लेकिन शोषकों की जमात से अलग कुछेक लोग ऐसे भी हैं जो आदिवासियों के हित में आवाज उठा रहे हैं, जिन्हें यह महसूस होता है कि आदिवासी हमारी ही तरह सामान्य मनुष्य हैं और उनके भी कुछ मूलभूत अधिकार हैं। 'महासागर' उपन्यास का साकेत ऐसा ही पात्र है। वह अंडमान-निकोबार की जनजातियों के हित में तमाम काम करता है। साकेत अपने ओवरसीयर से आदिवासियों को कम मजदूरी दिये जाने की शिकायत पर उलाहना देते हुए कहता है- ''ये गूँगे पशु हैं। इन्हीं के मेहनत के बलबूते पर सारा काम चल रहा है। फिर इन्हीं पर अन्याय हो। कम से कम पूरा न्याय न भी हम कर सकें तो इनकी खून-पसीने की कमाई तो इन्हें दें। क्या तुम सोचते हो कि पेट पर पट्टी बाँधकर ये तुम्हारा काम करें!''[10]

आदिवासी आज भी समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित नही हो सके हैं, इसका सबसे बड़ा कारण उनके आर्थिक विकास का बाधित होना है। उनके विकास के नाम पर सैकड़ों योजनाएं बनी हैं लेकिन प्रशासनिक अकुशलता और अत्यधिक भ्रष्टाचार के कारण आदिवासियों की जमीनी हकीकत में उल्लेखनीय सुधार नही हुआ है। किसी भी विधि की सफलता सबसे अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितना कारगर तरीके से लागू किया जाता है। ऐसे मे आज आवश्यकता सिर्फ विधि निर्माण की ही नहीं, उसके उचित कार्यान्वयन की भी है। इसलिए विधिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन होना जरूरी है, तभी देश के इस अत्यंत बड़े तबके का सही मायनों में उद्धार संभव है। आदिवासियों के अंदर जागरूकता की कमी भी उनके शोषण को गंभीर बना देती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी विकास की रणनीति और उसके कार्यान्वयन पर पुनर्विचार करें और समेकित योजना बनाकर आगे बढ़ें। समतामूलक भारत का निर्माण आदिवासियों के विकास से ही संभव है।

संदर्भ

1. संजीव, जंगल जहां शुरू होता है, पृष्ठ 83, प्रथम संस्करण 2000
2. पाठक, मनमोहन, गगन घटा घहरानी, पृष्ठ 127, आवृत्ति 1997
3. सदन, दामोदर, नदी के मोड़ पर, पृष्ठ 204, संस्करण 1979
4. सिंह, राकेश कुमार, पठार पर कोहरा, पृष्ठ 134, द्वितीय संस्करण 2005
5. संजीव, पांव तले की दूब, पृष्ठ 14, प्रथम संस्करण 1995
6. जलील, डॉ. वी. के. अब्दुल (संपादक), पृष्ठ 209, प्रथम संस्करण 2006
7. गुप्ता, रमणिका, मौसी, पृष्ठ 8, प्रथम संस्करण 1997
8. पुष्पा, मैत्रेयी, अल्मा कबूतरी, पृष्ठ 101, प्रथम पेपरबैक संस्करण 2004
9. सिंह, राकेश कुमार, पठार पर कोहरा, पृष्ठ 191, द्वितीय संस्करण 2005
10. जोशी, हिमांशु, पृष्ठ 67, प्रथम संस्करण 1999